राष्ट्रीय पशुधन मिशन में अतिरिक्त कार्यों का समावेश

स्रोत: पी.आई.बी.

हाल ही में **केंद्रीय मंत्रिमंडल** ने निम्नलिखित अतिरिक्त कार्यों को शामिल करके राष्ट्रीय पशुधन मिशन (National Livestock Mission) में संशोधन को मंज़ूरी दे दी-

- **घोड़ा, गधा, खच्चर, ऊँट के लिये उद्यमिता** की स्थापना के लिये व्यक्तियों, किसान उत्पादक संगठनों, स्वयं सहायता समूहों, **संयुक्त देयता समूह**, किसान सहकारी संगठन और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के अधीन कंपनियों को 50 लाख तक की 50 प्रतिशत पूंजी समंजूरी ब्सिडी प्रदान की जाएगी।
- चारा खेती के क्षेत्रों को बढ़ाने के लिये, राज्य सरकार को गैर-वन भूमि, बंजर भूमि/चरागाहों/गैर कृषि योग्य भूमि के साथ-साथ वन भूमि "गैर-वन बंजर भूमि/चरागाहों/गैर-कृषि योग्य भूमि" तथा "वन भूमि से चारा उत्पादन" के साथ-साथ **निम्नीकृत वन भूमि में भी चारे की खेती** के लिये सहायता दी जाएगी।
- **पशुधन बीमा कार्यक्रम** को सरल बनाते हुए किसानों के लिये प्रीमियम के लाभ को कम कर दिया गया है, अब से यह 15% होगा।
    - बीमा किये जाने वाले पशुओं की संख्या भी भेड़ और बकरी के लिये **5 मवेशी इकाई के बजाय 10 मवेशी इकाई** तक बढ़ा दी गई है।

और पढ़ें: भारत का पशुधन क्षेत्र

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/inclusion-of-additional-activities-in-national-livestock-mission